



कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)



प्रधान कार्यालय:- टी.सी.-38-वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन: +91 522 2728985 फैक्स: +91 522 2728988

Visit us at : www.cdsupjn.org

e-mail:-director@cdsupjn.org

पत्रांक: 511/जोडल/विद्युत/05

दिनांक: 04/11/11

अल्प कालीन निविदा सूचना

निदेशक, सी०एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु सी०एण्ड डी० एस० में पंजीकृत/सूचीबद्ध ठेकेदारों से मोहरबन्द कोटेशन दिनांक 15.11.2011 अपरान्ह 15.00 बजे तक कार्यालय निदेशक, सी०एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम, टी०सी०-38 वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन दिनांक 15.11.2011 को 15.30 बजे उक्त कार्यालय में ठेकेदारों/उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित हों, के समक्ष महाप्रबन्धक (नि-1) द्वारा खोले जायेंगे।

क्रम सं.	विवरण	निर्माण अवधि	स्थान	धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) रू० लाख में
1	33/11 के०वी० 1x5 एम०वी०ए० क्षमता के 5 नग, विद्युत उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित 33 के०वी० तथा 11 के०वी० लाइन का 'टर्नकी' आधार पर निर्माण का पैकेज	प्रत्येक 6 माह	1. पान गांव, विकास खण्ड रया, जनपद मथुरा 2. अरुआ, विकास खण्ड मॉट, जनपद मथुरा 3. मिठोली, विकास खण्ड नौहड़ील, जनपद मथुरा 4. नगला भामा, जनपद मथुरा 5. फतेहपुरा, जनपद मथुरा	5.00 (पूर्ण पैकेज हेतु)

शर्तें:-

- (1) कोटेशन दाता को कोटेशन जमा करते समय उपलिखित धरोहर धनराशि राष्ट्रीय कृत बैंक की एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी०/बैंक गारंटी जो निदेशक सी०एण्ड डी० एस० के नाम बन्धक हो, जमा करनी होगी।
- (2) स्वीकृत न्यूनतम दर के उपरान्त सम्बन्धित कोटेशन दाता को एग्रीमेन्ट के समय कार्य की लागत का 2 प्रतिशत जमानत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी०/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी जो निदेशक, सी०एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के नाम बंधक होगी। प्रत्येक रनिंग बिल से देयक की धनराशि की 8 प्रतिशत की कटौती जमानत धनराशि के मद में की जायेगी। इस प्रकार जमानत के मद में रोकी गयी धनराशि (10%) कार्य पूर्ण होने तक जमा रहेगी। यदि ठेकेदार उक्त धनराशि वापस लेना चाहें तो समतुल्य धनराशि की एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी०/बैंक

गारन्टी जो निदेशक सी०एण्ड डी० एस० के नाम उक्त अवधि के लिये बन्धक हो, जमा करनी होगी।

- (3) कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक घट-बढ़ सकती हैं।
- (4) नियमानुसार सभी प्रकार के सरकारी टैक्स अलग से देय होंगें।
- (5) कोटेशन प्रपत्र दिनांक 15.11.2011 तक कार्यालय निदेशक, सी०एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम, टी०सी०-38वी०, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किसे जा सकते हैं।
- (6) कोटेशन जमा करते समय ठेकेदार को प्रार्थना-पत्र के साथ इम्पैलमैन्ट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (7) एक अथवा समस्त कोटेशन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
- (8) सी०एण्ड डी० एस० में पंजीकृत/सूचीबद्ध ठेकेदारों को ही कोटेशन निर्गत की जायेंगी।
- (9) कार्यो का सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का प्रमाण-पत्र निदेशक, विद्युत सुरक्षा से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- (10) 33 के०वी० उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइनों का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त इसके Equipment के सफल परिचालन की 3 वर्ष की गारन्टी ठेकेदार को देनी होगी। प्रश्नगत अवधि के अर्न्तगत किसी भी उपकरण के क्षतिग्रस्त होने की दशा में ठेकेदार को (repair/replacement जैसी भी स्थित हो) करना होगा।

(पी० के० जैन)

महाप्रबन्धक (नि-1)

पू०स० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

वितरण:

- (1) निदेशक, सी०एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम लखनऊ।
- (2) सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक, सी०एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम।
- (3) वरिष्ठ लेखाधिकारी, सी०एण्ड डी० एस० उ०प्र०, जल निगम, लखनऊ।
- (4) तकनीकी सलाहकार (विद्युत), सी०एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- (5) सी०एण्ड डी० एस०, में विद्युत कार्य हेतु समस्त इनपैनेल्ड फर्मों को सी०एण्ड डी० एस० की website के माध्यम से।
- (6) नोटिस बोर्ड हेतु।
- (7) गार्ड फाइल।

महाप्रबन्धक (नि-1)